

वन रेंज- मेजा

बेधीपट्टी (सकल क्षेत्र 30 हे०, शुद्ध क्षेत्र 25 हे०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेक लिस्ट

क्रम सं०	बिन्दु	टिक बाक्स (/ x)
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लॉक में हो। वृक्षारोपण हेतु रोड साइड स्थल का चयन न किया जाये।	✓
2	वानस्पति घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उपयुक्त हो।	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है, सुनिश्चित करें।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानको के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।	X
10	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्डाना की झाड़ियाँ अथवा घास-फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अवश्य संलग्न किया जाये।	X
11	05 हे० से अधिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र का DSS Analysis आई०टी० सेल से कराया जाये।	✓


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेजा रेंज
शा०वा० प्रभाग प्रयागराज


उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
शा०वा० वन प्रभाग-प्रयागराज


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

वन रेंज- कोरांव

बेलहट (सकल क्षेत्र 8.75 हे०, शुद्ध क्षेत्र 7.5408 हे०) एवं
बसहरा (सकल क्षेत्र 12 हे०, शुद्ध क्षेत्र 10 हे०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेक लिस्ट

क्रम सं०	बिन्दु	टिक बाक्स (/ x)
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लॉक में हो। वृक्षारोपण हेतु रोड साइड स्थल का चयन न किया जाये।	✓
2	वानस्पति घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उपयुक्त हो।	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है, सुनिश्चित करें।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानको के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।	X
10	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्डाना की झाड़ियाँ अथवा घास-फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अवश्य संलग्न किया जाये।	X
11	05 हे० से अधिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र का DSS Analysis आई०टी० सेल से कराया जाये।	✓


R.O. Korav


उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
साठवा० वन प्रभाग-प्रयागराज


प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज